न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

निर्णय दिनांक :– 20-1-20

मु.सं. 276/2018

उनवान

1. सियाराम पुत्र नारायण
2. कैलाश गुर्जर पुत्र नारायण
3. प्रेम देवी पत्नि नारायण
4. तीजा देवी पत्नि नारायण समस्त जाति गुर्जर, निवासी– ग्राम आकोडिया, तहसील चाकंसू, जिला जयछुर राज. ।
5. शांति देवी पुत्री नारायण पत्लि अर्जुन लाल गुर्जर जाति गुर्जर, हाल निवासी– रूपाहेडी कलां, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर
6. प्रियंका देवी पुत्री नारायण पति अशोंक गुर्जर जाति गुर्जर, निवासी– ग्राम ठीकरिया गुजरान, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर

—– वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

बनाम

D:\Office\CRT\SIYARAM VS SARKAR.docx

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर

<u>दावा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से पेश किया गया कि वाके ग्राम आकोडिया, तहसील चाकसू में आराजी खाता सं. 143 में खसरा नंबर 1313 रकबा 0.61 है, खसरा नंबर 1449 रकबा 0.24 है, खसरा नंबर 1450 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 1451 रकबा 0.18 है0, खसरा नंबर 569 रकबा 1.90 है0, खसरा नंबर 575 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 576 रकबा 0.62 है0, कुल किता 07 कुल रकबा 3.72 है0 एवं खाता सं. 123 में खसरा नंबर 1434 रकबा 0.04 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.04 है0 स्थित है। जो वादग्रस्त आराजी से संबोधित की गई है। उक्त वर्णित भूमि के पूर्व में साबिक खसरा नंबर 286, 519, 525 कुल किता 03 कुल रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा थे जो राजस्व रिकोर्ड में नारायण पुत्र गणेश के नाम दर्ज चली आ रही है तथा नारायण पुत्र गणेश का सजरा खानदान वादपत्र के पैरा नम्बर 2 में वर्णित है। इस प्रकार स्व. शोभा के दो पुत्र गणेश व मोहना हुये। जिनमें गणेश ना

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

ओलाद फोत हो गया था तथा मोहना के महादेव हुआ तथा महादेव के रामपाल व नारायण हुये। जिनमें से नारायण स्व, गणेश के गोद चला गया तथा गणेश की संपत्ति नारायण के नाम आ गई तथा मोहना की संपत्ति रामपाल के वारिसों के नाम लग गई। उक्त वर्णित भूमि पूर्व में गणेश के नाम होने व नारायण के गणेश गोंद चले जाने से राजस्व रिकार्ड में नारायण की वल्दीयत गणेश हो गई लेकिन अन्य दस्तावेज में नारायण के पिता का नाम महादेव ही रहा। जिसकी दुरूस्ती नारायण ने अपने जीवनकाल में नहीं करवायी, ना ही नारायण को उक्त तथ्यों की जानकारी रही। चूंकि नारायण का स्व. हो चुका है तथा वादीगण ही नारायण के विधिक वारिसान है। जिन्हे उक्त दुरूस्ती करवाने का अधिकार प्राप्त के है। नारायण की मृत्यु के पश्चात वादीगण नारायण की विरासत का नामान्तकरण खुलवाने हेतु तहसील कार्यालय गये तो उन्हे समस्त तथ्यों की जानकारी हुई तथा राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकार्ड में नारायण की भूमि का विरासत का नामान्तकरण वादीगण के नाम खोलने जाने से इंकार कर कहा कि आप सक्षम न्यायालय में नारायण के पिता का नाम दुरूस्त करवा लो या न्यायालय से आदेश ले आओं। जिस कारण मान्य न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वादीगण के लिये आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकार्ड में नारायण की वल्दीयत में हुई इन्द्राज को दुरुस्त करावे

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

तथा स्व, नारायण की भूमि अपने नाम करावे जिसके वावीगण अधिकारी है। वादीगण को सर्वप्रथम भूमि की नकले लेने पर राजस्व रिकार्ड की गलती का पता चला. जिससे वादीगण के लिये आवश्यक हो गया कि वह अपने नाम पिता के नाम की वल्दीयत को दुरुस्त करवा कर अपने नाम से विरासत का नामान्तकरण खुलवाये। वाद कारण वादीगण ने नाम दुरुस्त के लिये तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर नाम दुरुस्त नहीं किये जाने के कारण सक्षम न्यायालय से करवाने की हिदायत दी गई तब उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। दावा वादीगण बहक प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वाद पत्र में मद नं. 1 में वर्णित आरजी में वादीगण के पिता का नाम नारायण पुत्र को हजब कर नारायण पुत्र महादेव घोषित किया जावे तथा वादीगण को वादग्रस्त आरजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तहसीलदार जी को आदेशित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी पैदा ना करे।

दावा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि मद संख्या 1 मुताबिक राजस्व जमाबंदी ग्राम आकोडिया सम्वत

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

2075–78 के खाता संख्या 123 व खाता संख्या 143 में दर्ज अंकन की हद तक स्वीकार है। मद संख्या 2 के कम में यह है कि स्व0 शोभा के दो पुत्र गणेश व मोहना थे, उसके बाद मोहना के एक पुत्र महादेव हुआ व महादेव के दो पुत्र रामपाल व नारायण हुए और गणेश नाऔलाद था। जिससे गणेश ने महादेव के पुत्र नारायण को गोद ले लिया जिसकी फर्द मौका रिपोर्ट संलग्न है। मद संख्या 3 के कम में प्रार्थी ने इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि गणेश द्वारा नारायण को गोद लेने से राजस्व रिकार्ड में दर्ज गणेश की जमीन नारायण के नाम लग गई. जिससे उसकी वल्दियत नारायण पुत्र गणेश हो गई। मद संख्या 1 के कम में प्रार्थीगण नारायण पुत्र गणेश के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम लगवाना चाहते है जबकि नारायण के समस्त दस्तावेजों में नारायण पुत्र महादेव दर्ज है, जो मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। मद संख्या 5 से 10 कानूनी है। मद संख्या 11(क) से 11(ग) माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वादी वकील ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वादी वकील ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि जवाब सरकार एवं प्रस्तुत दस्तोवजात अनुसार दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर वादी के पिता के पिता का नाम शुद्ध

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

किया जावे। वादी ने दावे के समर्थन में ग्राम आकोडिया की जमाबंदी संवत 2075–78 खाता संख्या 123, 143 मिलान क्षेत्रफल 2051–70, जमाबंदी संवत 2036–39, 2022–25, 2032–35, 2029–31, 2028 से 31, 2024–2027 जमाबंदी भूमि एकीकरण 2022 महादेव की मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड शान्ति देवी, आधार कार्ड प्रियंका देवी, कैलाशी, नारायण लाल, प्रेम देवी, चुनाव पहचान पत्र नारायण पुत्र महादेव बतौर दस्तावेज सबूत हेतु पेश किये गये।

वकील वादी की बहस पर गौर किया व प्रस्तुत दस्तावेज एवं जवाब सरकार का परीक्षण किया गया तो गणेश के ना औलाद फोत होने पर गणेश व महादेव के पुत्र नारायण को गोद ले लिया जो नारायण गणेश का दत्तक पुत्र हुआ किन्तु अन्य राजस्व रिकार्ड में नारायण की वल्दियत महादेव होने से जवाब सरकार होने व प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी के दादा का नाम व नारायण के पिता का नाम नारायण पुत्र गणेश के बजाय नारायण पुत्र महादेव किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वाके ग्राम आकोडिया तहसील चाकसू के खाता संख्या 143 के खसरा नम्बर 1313, 1449, 1450, 1451, 569, 575, 576 किता 7 रकबा 3.72 है0 व खाता संख्या 123 में खसरा नम्बर 1434, किता 0.04 है0 भूमि में वादीगण के पिता का नाम नारायण पुत्र गणेश को हजफ किया जाकर नारायण पुत्र महादेव घोषित किया जाता है व

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.02.18 16:23:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: